महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, बक्सर

स्थापित : 11 जून 1958

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
की अंगीभूत इकाई

विद्ययाऽमृतमश्नुते
म वि
महाविद्यालय, बक्सर

Website : www.mvcollegebuxar.org
E-mail : mvcollegebuxar@gmail.com

निर्देशिका

प्रो. (डॉ.) सुभाष चन्द्र पाठक
प्रभारी प्राचार्य

Scanned with OKEN Scanner

प्रो. (डॉ.) सुभाष चन्द्र पाठक

प्रभारी प्राचार्य

निर्देशिका

Website :- www.mvcollegebuxar.org

E-mail :- mvcollegebuxar@gmail.com

महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, बक्सर

स्थापित : 11 जून 1958

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
की अंगीभूत इकाई

Scanned with OKEN Scanner

संक्षिप्त परिचय

गंगा के पवित्र तट पर स्थित बक्सर उत्तर भारत की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने त्याग एवं तप से इस स्थान को सुशोभित किया। मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम स्वयं यहाँ पधारकर गुरू विश्वामित्र से युद्ध कला और विद्या प्राप्त किए तथा राक्षसों का संहार किया।

ज्ञान का प्रकाश फैलाना साधु-स्वभाव होता है। इस संदर्भ में जनकपुर निवासी महर्षि मौनी बाबा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने इस पवित्र तीर्थ स्थल पर 11 जून 1958 को महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय की स्थापना की। इस वृहत् कार्य में अनेक महान संतो, विद्वानों एवं कर्मठ व्यक्तियों के अतिरिक्त डुमराँव महाराजा श्री कमल सिंह जी का सहयोग सराहनीय रहा। महाराजा बहादुर श्री सिंह ने महाविद्यालय की स्थापना हेतु एक विस्तृत भू-खण्ड दान स्वरूप देकर अपने शिक्षा प्रेम को प्रदर्शित किया। भवन निर्माण कार्य में श्री बैजनाथ साह (नोखा मिल) का योगदान आज भी महाविद्यालय की धरोहर है।

प्रारंभ में यह महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध रहा। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय तथा सम्प्रति यह वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की अंगीभूत इकाई है। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा 1959 से स्थायी संबंधन प्राप्त विषयों में आज भी स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक पढ़ाई होती है।

1969 में मगध विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान संकाय में प्रतिष्ठा स्तर तक संबद्धता प्राप्त हुई और 1975 में अंगीभूतीकरण के बाद अब यह महाविद्यालय वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा का एक प्रमुख अंगीभूत महाविद्यालय बना तथा 1988 से कई विषयों में स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई। महाविद्यालय में NCC एवं NSS की इकाईयाँ कार्यरत हैं और इसमें छात्र बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा इस आधार पर बच्चों को सरकारी नौकरियाँ मिलती रहती हैं। एम० भी० कॉलेज बक्सर में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत BBA एवं BCA स्वपोषित पाठ्यक्रम का पठन-पाठन सफलतापूर्वक चल रहा है। साथ ही दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने हेतु Remedial Coaching की व्यवस्था UGC प्रायोजित कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। महाविद्यालय में Language Lab की सुदृढ़ व्यवस्था है।

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय को भवन के मामले में समृद्ध बनाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्षों में महाविद्यालय-भवन के मामले में धनी हो जाएगा।

महाविद्यालय का पुस्तकालय काफी समृद्ध है। महाविद्यालय के पुस्तकालय को कम्प्यूटराइज्ड करने का कार्य चल रहा है। जिससे यहाँ की Library को E-Library बनाया जा सके। खेल-कूद में महाविद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों से काफी सफलता पाई है और विश्वविद्यालय में अपना एक अलग पहचान बनाया है।

स्थापना काल से ही यह महाविद्यालय छात्र-छात्राओं के चरित्र निर्माण सहित विकास में सतत् प्रयत्नशील रहा है। महाविद्यालय अपने प्रधानाचार्य, विद्वान शिक्षकों एवं कर्मठ कर्मचारियों के नेतृत्व में नये-नये उपलब्धियों का विकास रच रहा है।

प्रमुख दानदाता :-

कमल सिंह, महाराजा बहादुर डुमराँव, श्री 1008 मौनी बाबा और श्री बैजनाथ साह।

शिक्षा :-

महाविद्यालय में इण्टरमीडिएट (कला एवं विज्ञान), तेरह विषयों में स्नातक प्रतिष्ठा (कला एवं विज्ञान), चार विषयों में, स्नातकोत्तर (हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं मनोविज्ञान) स्तर तक शिक्षण कार्य होता है। पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों के रूप में समयानुसार विविध विषयों पर वाद-विवाद, लेखन-प्रतियोगिता, खेल-कूद, सेमिनार, वार्षिकोत्सव आदि भी आयोजित किये जाते हैं।

समय सारणी :-

महाविद्यालय की शिक्षण समय-सारणी नोटिस-बोर्ड एवं महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है तथा इसमें होने वाली सामयिक परिवर्तनों से छात्र/छात्राओं को अवगत कराया जाता है। सम्बद्ध एवं अन्य सूचनाओं के संग्रह की दृष्टि से छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से नोटिस-बोर्ड एवं महाविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन किया करें।

अविभावक के लिए निर्धारित समय :-

सामान्य रूप से प्रत्येक कार्य-दिवस में अपराह्न 1 से 2 बजे के बीच अविभावक प्रधानाचार्य से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आने वाले अथवा दूर-दराज से आने वाले अविभावक सुविधानुसार प्रधानाचार्य से कार्यालय अवधि में कभी भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

नामांकन का समय :-

मैट्रिक, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित होने के तुरन्त बाद क्रमशः इण्टर, स्नातक तथा स्नातकोत्तर वर्गों की नामांकन-प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न होती है। छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए संबंधित सूचनाएँ नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।

छात्र निःशुल्कता :-

निर्धारित अवधि में सभी वर्गों के छात्र/छात्राओं को निःशुल्कता प्रपत्र जमा करने के लिए नोटिस-बोर्ड एवं महाविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोजनार्थ प्राप्त होने वाले आवेदनों पर शिक्षकों की एक समिति द्वारा विचार किया जाता है। निःशुल्कता का प्रमुख आधार मेधा-सह-निर्धनता है तथा प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित छात्र संख्या का 12% छात्र / छात्राओं को पूर्ण निःशुल्कता प्रदान की जाती है। छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा स्नातक स्तर तक प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति :-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई निधि से महाविद्यालय के माध्यम से विविध छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराई जाती है, जो मेधा-सह-निर्धनता पर आधारित होती है। संबंधित सूचनाएँ नोटिस-बोर्ड एवं महाविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

नामांकन का आधार :-

महाविद्यालय में नामांकन का सामान्य आधार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिताएँ:-

महाविद्यालय में समय-समय पर विविध कार्यक्रमों के साथ ही वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक छात्र/छात्रा से सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं के सहभागियों को महाविद्यालय द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जाता है एवं इसके साथ ही उन्हें प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं, जो निःशुल्कता का विशेष आधार माना जाता है।

महाविद्यालय पत्रिका :-

समय-समय पर महाविद्यालय की पत्रिका का प्रकाशन सम्पन्न होता है। इसके लिए विविध एवं समसामयिक विषयों पर छात्र/छात्राओं से स्वलिखित लेख, कहानियाँ, कविताएँ आदि आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राएँ अपनी रचनाएँ प्रधानाचार्य कार्यालय/सम्पादक मण्डल के पास जमा कर सकते हैं। इनमें से चयनित रचनाएँ महाविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित होती है, जिनका चयन सम्पादक मण्डल द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा-योजना की दो इकाई कार्यरत है। यह सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है तथा इसमें भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सा सुविधा :-

महाविद्यालय में अंशकालिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :-

प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय खुलने के साथ ही महाविद्यालय पुस्तकालय खुल जाता है। पुस्तकालय के छात्र/छात्राओं को स्थानीय तथा आवासीय अध्ययन हेतु निर्धारित अवधि के लिए पुस्तकें निर्गत की जाती है। पुस्तकालय में 'बुक-बैंक' की अलग व्यवस्था है।

अंक-पत्र :-

इण्टर कौंसिल एवं विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल प्रकाशनोपरान्त उनसे प्राप्त अंक-पत्रों का वितरण महाविद्यालय करता है। अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत करने के बाद छात्र/छात्राओं को अंक-पत्र निर्गत किये जाते हैं।

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र :-

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र सामान्यतः अध्ययन समाप्त [illegible] के बाद छात्र/छात्राओं के अनुरोध पर निर्गत किये जाते है, जिन्हें छात्र/छा[illegible]यं प्राप्त करते है, परन्तु विशेष परिस्थिति में किसी भी छात्र/छात्रा को अनु[illegible]क आधार पर कभी भी महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है तथा उनके अविभावक को भेजा जा सकता है।

अनुशासन :-

महाविद्यालय में छात्र अनुशासन की दृष्टि से अनुशासक की व्यवस्था है। अनुशासनिक संदर्भों में अनुशासक द्वारा सम्यक जाँचोपरान्त अनुशंसा की जाती है, जिसके आधार पर प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसमें आर्थिक दण्ड भी सम्मिलित है। विशेष रूप से दण्डित किये गये छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र देते हुए माता-पिता/अविभावक को सूचित किया जा सकता है।

पुरस्कार :-

महाविद्यालय में अनुकरणीय चरित्र रखने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था है। इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं में अध्ययनशीलता, विनम्रता, अनुशासन-प्रियता, स्वच्छता आदि को प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिक्रीड़ा-परिषद् :-

महाविद्यालय में वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिताओं के संचालनार्थ एक अधिक्रीड़ा-परिषद् का गठन किया गया है।

परिचय-पत्र :-

नामांकन के बाद छात्र/छात्राओं को कार्यालय द्वारा उन्हें परिचय-पत्र उपलब्ध कराये जाते है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परिचय पत्र प्रतिदिन महाविद्यालय लायें तथा अन्य स्थानों/अवसरों पर भी इसका उपयोग करें।

Scanned with OKEN Scanner

परिचय-पत्र से निम्नांकित सुविधाएँ जुड़ी हुई है:-

1. बैंक में खाता खोलने में उपयोगी।
2. रेलवे से रियायती यात्रा टिकट प्राप्त करना।
3. महाविद्यालय / दूसरे महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय के विभिन्न उत्सवों / समारोहों आदि में प्रवेश पाना।
4. महाविद्यालय के चिकित्सक से चिकित्सा एवं परामर्श प्राप्त करना।
5. अपने नाम, चित्र एवं हस्ताक्षर के गलत प्रयोग से बचाव।
6. अपनी पहचान स्थापित करना।

महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किये गये सादे परिचय-पत्र पर छात्र/छात्राओं द्वारा फिलहाल का बनवाया गया एक फोटो स्वयं चिपकाया जाता है तथा परिचय-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ भी छात्र/छात्राओं द्वारा ही भरी जाती है। तदुपरान्त परिचय-पत्र इन प्रविष्टयों के सत्यापनार्थ कार्यालय में जमा किया जाता है। कार्यालय द्वारा ब्योरा सत्यापनोपरान्त प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर के साथ ये परिचय-पत्र पुनःसंबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

सामान्य कक्ष :-

महाविद्यालय के सामान्य कक्ष में इनडोर खेलों के साथ पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं को इससे लाभ उठाना चाहिए तथा किसी तरह की असुविधा की स्थिति में इसके प्रभारी प्राध्यापक/प्राध्यापिका से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

विश्वविद्यालय/इण्टर कौन्सिल की परीक्षाएँ :-

विश्वविद्यालय/इण्टर कौन्सिल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्राप्त होती है:-

1. जिनके पास महाविद्यालय का किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो।
2. महाविद्यालय में अध्ययन की अवधि में जिनके चरित्र के विरूद्ध कोई आरोप नहीं हो।
3. जिन्होंने महाविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में नियमानुसार उत्तीर्णता प्राप्त की हो।
4. कक्षाओं में दिये गये व्याख्यानों / प्रायोगिक कक्षाओं में जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

Scanned with OKEN Scanner

विश्वविद्यालय परिवार

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	प्रो० (डॉ०) शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	कुलपति
2.	डॉ० सी० एस० चौधरी	प्रतिकुलपति
3.	अरूण प्रसाद श्रीवास्तव	वित्त परामर्शी
4.	श्री शैलेश कुमार सिंह	वित्त पदाधिकारी
5.	प्रो० (डॉ०) रणविजय कुमार	अध्यक्ष छात्र-कल्याण सह कुलसचिव
6.	डॉ० (मो०) अनवर इमाम	परीक्षा नियंत्रक
7.	डॉ० सुनील कुमार	कॉलेज, निरीक्षक, कला
8.	डॉ० अशोक कुमार	कॉलेज नि[illegible]क, विज्ञान
9.	अनुज रजक	कुलानुशा[illegible]
10.	डॉ० बिनय कुमार मिश्रा	सी.सी.डी.सी.

महाविद्यालय परिवार

शिक्षक

क्र०सं० नाम / पदनाम

1. **प्रो० (डॉ०) सुभाष चन्द्र पाठक,** प्रभारी प्राचार्य

राजनीति शास्त्र विभाग

1. **श्री अवधेश प्रसाद,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. **डॉ० रमेश कुमार बैठा,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
3. **डॉ० निशांत कुमार,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. **डॉ० प्रिय रंजन,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

हिन्दी विभाग

1. **डॉ० छाया चौबे,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. **डॉ० श्वेत प्रकाश,** असिस्टेंट प्रोफेसर
3. **डॉ० अर्चना कुमारी,** असिस्टेंट प्रोफेसर
4. **डॉ० पंकज कुमार चौधरी,** असिस्टेंट प्रोफेसर

दर्शनशास्त्र विभाग

1. **डॉ० रास बिहारी शर्मा,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. **डॉ० सोनी कुमारी,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

संस्कृत विभाग

1. **डॉ० रवि प्रभात,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. **डॉ० संगीता राय,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

अर्थशास्त्र विभाग

डॉ० राजेश कुमार, विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर
डॉ० अमृता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. **डॉ० विकास कुमार राणा,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

अंग्रेजी विभाग

1. **श्री प्रियेश रंजन,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

1. **डॉ० महेन्द्र प्रताप सिंह,** विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. **डॉ० नवीन शंकर पाठक,** अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

Scanned with OKEN Scanner

3. डॉ० विद्यानन्द राम, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. डॉ० मधु कुमारी, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

मनोविज्ञान विज्ञान विभाग

1. डॉ० यशवंत कुमार, विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० सुजीत कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ० योगर्षि राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ० अशोक कुमार, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
5. श्रीमति सरिता देवी, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
6. डॉ० अर्चना पाण्डेय, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
7. डॉ० सीमा कुमारी, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

भौतिकी विज्ञान विभाग

1. डॉ० सैकत देवनाथ, विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ० सुधांशु शेखर, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
2. डॉ० शैलेन्द्र कुमार, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ० भगवान मिश्रा, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
2. डॉ० शशिकला, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
3. डॉ० श्वेता, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. डॉ० अनुराग कुमार, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ० शैयद वशी इमाम, विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ० भरत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ० नवी रंजन, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
2. डॉ० प्रीति सिन्हा, अतिथि शिक्षक (असिस्टेंट प्रोफेसर)

BCA विभाग

1. श्री इन्द्र नारायण सिंह, शिक्षक
2. श्री धनंजय पाण्डेय, शिक्षक
3. श्री शशि भूषण सिन्हा, शिक्षक

BBA विभाग

1. श्री अरविन्द मिश्रा, शिक्षक
2. श्रीमति सरोज सर्राफ, शिक्षक

शिक्षकेत्तर कर्मचारी

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	भण्डारपाल-सह-प्रधान सहायक
2.	श्री चिन्मय प्रकाश झा	दिनचर्या लिपिक-सह-लेखापाल
3.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	भण्डारपाल (भौतिकी वि०) -सह-क्रीड़ा प्रभारी
4.	श्री दयाशंकर तिवारी	दिनचर्या लिपिक-सह-पुस्तकाध्यक्ष
5.	डॉ० अमित कुमार मिश्र	दिनचर्या लिपिक-सह-पुस्तकालय सहायक
6.	श्री शैलेन्द्र नाथ पाठक	दिनचर्या लिपिक-सह-भंडारपाल
7.	श्री सुनील कुमार	निम्नवर्गीय लिपिक
8.	श्री अभय कुमार मिश्रा	निम्नवर्गीय सहायक (LDC)
9.	श्री राजीव रंजन कुमार	दिनचर्या लिपिक
10.	श्रीमति शांति कुमारी देवी	दिनचर्या लिपिक
11.	श्री टुनटुन मिश्रा	निम्नवर्गीय सहायक (LDC)
12.	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	प्रयोगशाला वाहक
13.	श्री रणजीत कुमार श्रीवास्तव	प्रयोगशाला वाहक (रसायन वि०)
14.	श्रीमती सरिता कुमारी	प्रयोगशाला वाहक

Scanned with OKEN Scanner

क्र०सं०	नाम	पदनाम
15.	श्री शिवम भारद्वाज	प्रयोगशाला वाहक
16.	श्री राम नगीना सिंह	आदेशपाल
17.	श्री कन्हैया प्रसाद	आदेशपाल
18.	श्रीमती मुन्नी देवी	आदेशपाल
19.	श्री सुरेश सिंह	आदेशपाल
20.	श्री हरगोविन्द सिंह	आदेशपाल
21.	श्रीमती रंजू देवी	आदेशपाल
22.	श्री रंगनाथ तिवारी	आदेशपाल
23.	श्री अनिल कुमार	स्वीपर

संविदा आधारित कर्मचारी

1.	श्री संतोष कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर
2.	श्री अनंत कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर
3.	श्री अमरेन्द्र कुमार शुक्ला	आदेशपाल
4.	श्री भगवान सिंह यादव	रात्री प्रहरी
5.	मो० नौशाद अंसारी	कम्प्यूटर ऑपरेटर
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	जेनेरेटर ऑपरेटर
7.	श्री संतोष कुमार	स्वीपर
8.	श्री विनोद चौधरी	स्वीपर

छात्रोपयोगी अन्य सूचनाएँ

1. बिना पूर्व अनुमति के प्रधानाचार्य से सम्पर्क करना निषिद्ध है। एतदर्थ छात्र/छात्राओं को सादे कागज पर अपना नाम, वर्ग क्रमांक तथा वर्ग का नाम लिखकर आदेशपाल को देना चाहिए तथा प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही उनके कार्यालय-कक्ष में प्रवेश करना चाहिए।

2. **शिक्षण-शुल्क जमा करने संबंधी नियम:-**

(क) ऑनलाइन शुल्कादि जमा करने संबंधी कार्य 10:30 – 01:30 बजे दिन के बीच किया जाता है।

(ख) प्रातःकालीन समय में ऑनलाइन शुल्कादि 8 बजे से 11 बजे के बीच जमा किया जाता है।

3. **विभिन्न प्रकार के आवेदन-प्रपत्रों को जमा करने संबंधी नियम:**

(क) समय-सारणी एवं विषय/संकाय परिवर्तन संबंधी आवेदन-पत्र प्रभारी, शिक्षक/शिक्षिका के पास जमा किये जायेंगे।

(ख) नामांकन, पुनःप्रवेश, विविध शुल्क आदि से संबंधित आवेदन-पत्र प्रधानाचार्य के पास प्रस्तुत करना है।

(ग) परीक्षा संबंधित आवेदन-पत्रों को परीक्षा नियंत्रण के कार्यालय में जमा करना है।

(घ) किसी भी परिषद्/समिति आदि से संबंधित आवेदन-पत्र संबंधित प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका के पास जमा करना है।

Scanned with OKEN Scanner

(ङ) पुस्तकालय से संबंधित आवेदन-पत्र पुस्तकालय प्रभारी के पास देना है।

(च) आवेदन-पत्र जमा करने के लिए यदि पत्र-पेटिका उपलब्ध कराई गई हो तो आवेदन-पत्रों को पत्र पेटिका में ही डालना है।

(छ) छात्र/छात्राओं को अपने आवेदन-पत्र स्वयं भरना चाहिए तथा उस पर अपना स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित करना चाहिए।

छात्र-छात्राओं के आचरण संबंधी नियम

(क) महाविद्यालय अपने छात्र/छात्राओं से सभी संबद्ध मामलों में नियमानुकूल आचरण की अपेक्षा रखता है। किसी को भी नियमों की जानकारी नहीं रखने के कारण कोई लाभ देय नहीं होगा।

(ख) शिक्षण के समय अनावश्यक घूमना, परिसर से जहाँ-तहाँ इकट्ठा होना अथवा साइकिलें खड़ा करना, अध्ययन-अध्यापन में व्यवधान डालना दण्डनीय अपराध है।

(ग) बिना सूचना/अनुमति के एक सप्ताह या इससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं को इसके लिए, पर्याप्त कारण बताते हुए अपने माता-पिता/अविभावक के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) महाविद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल करन वाले कार्यों/प्रयासों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को दण्डित किया जायेगा।

(च) महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना, बिना अनुमति स्थानान्तरित करना अथवा उसका दुरूपयोग करना गैर-अनुशासनिक आचरण माना जायेगा।

(छ) छात्र/छात्राओं को आपस में एक दूसरे के प्रति आदर-भाव रखना चाहिए।

(ज) छात्र/छात्राओं को सभ्य वस्त्रों में ही महाविद्यालय आना चाहिए, परिसर में अधिक भड़कीले एवं आवंछनीय वस्त्रों का प्रयोग वर्जित है।

(झ) राष्ट्र-गान/राष्ट्रीय-ध्वज के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना प्रत्येक छात्र/छात्राओं का पुनीत कर्तव्य है।

(ट) छात्र/छात्राओं को अपने शिक्षकों/शिक्षिकाओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।

(ठ) शुल्क जमा करने, पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान करने जैसे अवसरों, पर छात्र/छात्राओं को धैर्य से काम लेना चाहिए तथा पंक्ति में खड़ा होना चाहिए।

(ड) किसी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में लाना अनुशासनहीन आचरण माना जायेगा।

(ढ) महाविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा रखता है कि महाविद्यालय का परित्याग करने के बाद वे जिस भी वृत्ति में लगे, उसकी सूचना महाविद्यालय को अवश्य दें।

Scanned with OKEN Scanner

शुल्क संबंधी कुछ विशेष बातें

1. शैक्षणिक सत्र की सम्पति के बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक छात्र/छात्राओं का सभी प्रकार के बकाये सहित अपने वर्ग के मासिक शिक्षण शुल्क की राशि के रूप में जमा करना होगा।

2. शैक्षणिक सत्र के मध्य छात्र/छात्राओं की मांग पर आमतौर पर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों निर्गत नहीं किये जाते हैं फिर भी परिस्थिति विशेष पर निर्गत किया जाने वाले ऐसे प्रमाण पत्र के लिए शुल्क सहित महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का शुल्क जमा करना होगा।

3. दूसरे विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्र/छात्राओं का नामांकन विश्वविद्यालय की अनुमति से किया जा सकेगा। इस अनुमति को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित छात्र/छात्रा का होगा तथा उनको नामांकन के लिए प्रव्रजन प्रमाण-पत्रों प्रस्तुत करना होगा।

4. छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी प्रकार के शुल्क केवल ऑनलाइन ही जमा करें तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त ऑनलाइन शुल्क रसीद को महाविद्यालय में अधिकृत काउन्टर पर जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

नामांकन संबंधी आवश्यक सूचनाएँ एवं निर्देश

महावद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया On-line होती है।

नामांकन प्रपत्र छात्र छात्राओं द्वारा सावधानी पूर्वक स्वयं भरें जायेंगे। मार्ग दर्शन के लिए शिक्षक/शिक्षिकाओं की सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

नामांकन के समय छात्र/छात्राओं को निम्नांकित कागजात/प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र (मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति)

(ख) दूसरे विश्वविद्यालय/राज्य अथवा राज्यों के परीक्षा बोर्डो से आने की स्थिति में प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति)।

(ग) मूल अंक-पत्र के साथ एक छाया प्रति (छाया प्रति के सत्यापनोपरान्त मूल प्रति वापस कर दी जायेगी)

(घ) आचरण प्रमाण पत्र-छाया प्रति।

(ङ) पूर्व परीक्षा का प्रवेश-पत्र छाया प्रति।

(च) जाति एवं आय प्रमाण-पत्र मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति (यदि नामांकन आरक्षित कोटे में अपेक्षित हो) के सत्यापनोपरान्त मूल प्रति वापस कर दी जायेगी।

(ज) विकलांगता (50% से अधिक) अथवा खेल-कूद से संबंधित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति (सत्यापनार्थ मूलप्रति आवश्यक)।

(झ) अभ्यर्थी का तत्कालीन पासपोर्ट साइज फोटो 2 प्रतियाँ।

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारित विषय-समूह

इण्टरमीडिएट - कला

अनिवार्य विषय : 1. हिन्दी - 100 अंक (ग्रुप-ए)
2. अंग्रेजी - 100 अंक (ग्रुप-बी)

ऐच्छिक विषय : निम्नलिखित में से कोई तीन - 100 अंक
1. राजनीति शास्त्र, 2. अर्थशास्त्र, 3. तर्क शास्त्र
4. संस्कृत, 5. इतिहास, 6. मनोविज्ञान

अतिरिक्त विषय : 100 अंक
ऐच्छिक विषयों में से भाषा एवं साहित्य तथा प्रायोगिक विषय को छोड़ कर कोई एक विषय जो वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं लिया गया हो।

इण्टरमीडिएट - विज्ञान

अनिवार्य विषय : 1. हिन्दी - 100 अंक (ग्रुप-ए)
2. अंग्रेजी - 100 अंक (ग्रुप-बी)

वैकल्पिक विषय : भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित

अथवा

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान
(जीव विज्ञान में जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान सम्मिलित)

गणित - 100 अंक

भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान
लिखित परीक्षा - 70 अंक
प्रायोगिक परीक्षा - 30 अंक

अतिरिक्त विषय : गणित - (सिर्फ जीव विज्ञान के छात्र / छात्राओं के लिए)

Scanned with OKEN Scanner

इण्टरमीडिएट शिक्षा-परिषद् के कुछ उपयोगी नियम

1. इण्टर वर्ग में नियमित छात्र/छात्राएँ एक परीक्षा में नियमित रूप से सम्मिलित हो सकते/सकती हैं। असफल होने पर लगातार तीन वर्षों तक उनका पंजीयन परिषद् द्वारा मान्य होगा 3 वर्षों के बाद पुनः नये नामांकन के उपरान्त सुचीकरण करवाना होगा।

2. यदि कोई परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय रखता/रखती है, तो उसका परीक्षाफल तैयार करते समय उसके तीन वैकल्पिक विषय तथा एक अतिरिक्त विषय मिलाकर चार विषयों में से अधिक प्राप्तांक वाले तीन विषयों के प्राप्तांको के कुल योग में सम्मिलित किया जायेगा और निम्नतम प्राप्तांक वाले विषय को चतुर्थ विषय मानकर छोड़ दिया जायेगा।

3. हरिजन/आदिवासी छात्र/छात्राओं को केवल नियमित छात्र/छात्रा रहने की स्थिति में ही परीक्षा-शुल्क देय नहीं होगी। पूर्ववर्ती छात्रा रहने की स्थिति में भी परीक्षा-शुल्क देय नहीं होगी। पूर्ववर्ती छात्रों के रूप में उन्हें परीक्षा शुल्क देना होगा।

4. पूर्ववर्ती छात्र/छात्रा विषय परिवर्तन नहीं कर सकते। उनको उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी होगी, जिनको उसके द्वारा नियमित छात्र/छात्रा के रूप में चुना जा चुका हो।

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड का एक-एक शैक्षणिक सत्र है।

1. सामान्य पाठ्यक्रम (General Course) तथा
2. प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम (Honours Course)

सामान्य अथवा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम का चयन प्रथम खण्ड में नामांकन के समय ही करना आवश्यक है। प्रथम खण्ड में चयनित पाठ्यक्रम ही तीनों खण्डों का पाठ्यक्रम माना जायेगा तथा बीच में दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण मान्य नहीं होगा।

तीनों खण्डों में से प्रत्येक के समापन पर विश्वविद्यालय परीक्षा होगी और अन्तिम परीक्षा में तीनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी का निर्धारण होगा।

स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खण्ड

कला एवं विज्ञान में नामांकन के लिए

(क) इण्टर कला एवं विज्ञान में उतीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) जिस विषय का प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम रखना अपेक्षित हो, उसमें इण्टर स्तर पर न्यूनतम 45% अंक रहना अनिवार्य है।

(ग) यदि कोई छात्र/छात्रा इण्टर परीक्षा विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण हो और कला प्रथम खण्ड में नामांकन कराना चाहता/चाहती हो, तो सामान्य पाठ्यक्रम में नामांकन हो सकता है अथवा न्यूनतम (सभी विषय मिलाकर) 45% होने की स्थिति में प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में भी उसका नामांकन हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-I (सामान्य) 400 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, एक पत्र)

ऐच्छिक विषय : निम्नांकित में से कोई तीन विषय
(प्रत्येक 100 अंक)
1. अंग्रेजी, 2.हिन्दी, 3. संस्कृत 4. राजनीति विज्ञान
5. इतिहास, 6. अर्थशास्त्र 7. मनोविज्ञान 8. दर्शन शास्त्र

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-II (सामान्य) 400 अंक

बी०ए० पार्ट-II सामान्य पाठ्यक्रम के छात्र बी०ए० पार्ट-I की भांति हिन्दी रचना के साथ पार्ट-I में चुने गये ऐच्छिक विषयों के द्वितीय पत्रों का अध्ययन करेंगे।

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-III (सामान्य) 400 अंक

बी०ए० पार्ट-III सामान्य पाठ्यक्रम उपर के छात्र के चुने गये ऐच्छिक विषयों के तृतीय पत्रों के अध्ययन के साथ 100 अंक का सामान्य अध्ययन अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे।

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-I (प्रतिष्ठा) 500 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, एक पत्र)

प्रतिष्ठा का विषय : उपलब्ध विषयों में से कोई एक
(100-100 अंक, प्रथम एवं द्वितीय पत्र)

सहायक विषय : प्रतिष्ठा के विषय को छोड़कर उपलब्ध विषयों में से कोई दो विषयों (100-100 अंक, दोनों विषयों का प्रथम पत्र)

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-II (प्रतिष्ठा) 500 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, द्वितीय पत्र)

प्रतिष्ठा का विषय : पार्ट-I में चुने गये दोनों विषयों का तृतीय एवं चतुर्थ पत्र
(100-100 अंक)

सहायक विषय : पार्ट-I में चुने गये विषयों का द्वितीय पत्र
(प्रत्येक 100 अंक)

विषय समूह - बी.ए. पार्ट-III (प्रतिष्ठा) 500 अंक

प्रतिष्ठा का विषय : पार्ट-I में चुने गये दोनों विषय का पंचम, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्टम पत्र (प्रत्येक 100 अंक)

सामान्य अध्ययन : एक पत्र - 100 अंक

विषय समूह - बी.एससी. पार्ट-I (सामान्य) 400 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, एक पत्र)

ऐच्छिक विषय : निम्नांकित में से कोई तीन
(प्रत्येक 100 अंक प्रैक्टिकल सहित)
1. भौतिकी 2. रसायन विज्ञान
3. जन्तु विज्ञान 4. वनस्पति विज्ञान 5. गणित

Scanned with OKEN Scanner

विषय समूह – बी.एससी. पार्ट-II (सामान्य) 400 अंक

बी०एससी० पार्ट-II सामान्य पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राएँ हिन्दी रचना के द्वितीय पत्र के साथ पार्ट-I में चुने गये ऐच्छिक विषयों के द्वितीय पत्रों का अध्ययन करेंगे।

विषय समूह – बी.एससी. पार्ट-III (सामान्य) 400 अंक

बी०एससी० पार्ट-III सामान्य पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राएँ पार्ट-I में चुने गये ऐच्छिक विषयों के तृतीय पत्रों के साथ ही सामान्य (100 अंक) का भी अध्ययन करेंगे।

विषय समूह – बी.एससी. पार्ट-I (प्रतिष्ठा) 500 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, एक पत्र)

प्रतिष्ठा का विषय : उपलब्ध विषयों यथा स्नातक विज्ञान सामान्य में से कोई एक

सहायक विषय : प्रतिष्ठा के विषय को छोड़कर उपलब्ध विषयों में से कोई दो विषय (100-100 अंक, दोनों का प्रथम पत्र)

विषय समूह – बी.एससी. पार्ट-II (प्रतिष्ठा) 500 अंक

अनिवार्य विषय : हिन्दी रचना (100 अंक, एक पत्र)

प्रतिष्ठा का विषय : पार्ट-I में चुने गये विषय का तृतीय एवं चतुर्थ पत्र प्रत्येक 100 अंक (प्रैक्टिकल सहित)

सहायक विषय : पार्ट-I में चुने गये विषय का द्वितीय पत्र प्रत्येक 100 अंक (प्रैक्टिकल सहित)

विषय समूह – बी.एससी. पार्ट-III (प्रतिष्ठा) 500 अंक

प्रतिष्ठा का विषय : पार्ट-I में चुने गये विषय का पंचम, षष्ठम्, सप्तम् एवं अष्ठम् पत्र 400 अंक (प्रैक्टिकल सहित)

सहायक अध्ययन : एक पत्र - 100 अंक

को [illegible] प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राएँ, सहायक विषयों में पार्ट-I, II में 25 [illegible] अंको की प्रायोगिक परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। प्रतिष्ठा के लिये च[illegible] विषय के प्रथम एवं द्वितीय पत्रों में प्रायोगिक परीक्षाएँ 50 अंको की होगी तथा पार्ट-II में तृतीय एवं चतुर्थ पत्रों में प्रायोगिक परीक्षाएँ 50 अंकों की तथा तृतीय खण्ड में अष्ठम् पत्र (100 अंक) पूर्णतः प्रायोगिक परीक्षा का पत्र होगा तथा पंचम, षष्ठम एवं सप्तम पत्र पूर्णतः सैद्धान्तिक होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में चार विषयों के स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षा की व्यवस्था है।

1.	हिन्दी
2.	राजनीति विज्ञान
3.	इतिहास
4.	मनोविज्ञान

इन चार विषयों में नामांकन का आधार स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खण्ड के परीक्षोतीर्ण छात्र/छात्राओं का नामांकन मेधाविता के आधार पर किया जाता है। स्नातकोत्तर का सत्र 2 वर्षों (चार सेमेस्टर CBCS रेगुलेशन के तहत) का होता है। सत्रावसान पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है।

THE BIHAR STATE UNIVERSITY
(Ammendment)
Act, 1996 (No. 16, 1996)

An Act to amend the Bihar State University Act 1976

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the forty seventh year of the Republic of India, as follows:

1. Short Title and Commencement.

   (i) This act may be called the Bihar State University (Amendment) Act 1996

   (ii) It shall come into force at once.

2. Amendment Act after Sub-Section (2) the following new Sub-Section (3) shall be inserted namely.

3. The quota for reservation of seats in each university faculties, departments and colleges under the university for admission of students to different courses shall be determined by the State Government as follows, which shall be binding on the university.

   (a) **Schedule Castes :** 16% of the Sanctioned Seats

   (b) **Schedule Tribes :** 01% of the Sanctioned Seats

   (c) **Extremely Backward :** 18% of the sanctioned Class seats.

Scanned with OKEN Scanner

(d) **Backward Classes:** 12% of the sanctioned seats

(e) **Women of Backward Classes :** : 3% of the sanctioned seats

(f) **Economically weaker Section (EWS) :** 10% of the Sanctioned Seats.

Reservation of seats for admission of student shall not exceed more than 50% of the sanctioned seats. However a reserved category student who is selected on the basis of his/her merit shall be counted against 50% seats of open merit category and not against seats of reserved category.

(2) Sub Section (3) of section 61 of the Bihar Act 23 of 1976 shall be renumbered as sub-section (4)

कोशिश की गई है कि इस निर्देशिका में दी गई सूचनाएँ प्रमाणिक हों, किन्तु यदि विश्वविद्यालय / वि० ई० शिक्षा परिषद् के नियमों से इस निर्देशिका में दी गई सूचनाओं से टकराव की स्थिति हो तो विश्वविद्यालय / वि० ई० शिक्षा परिषद् के नियम प्रभावी होंगे एवं इस निर्देशिका की सूचना निष्प्रभावी होगी।

संस्थापक

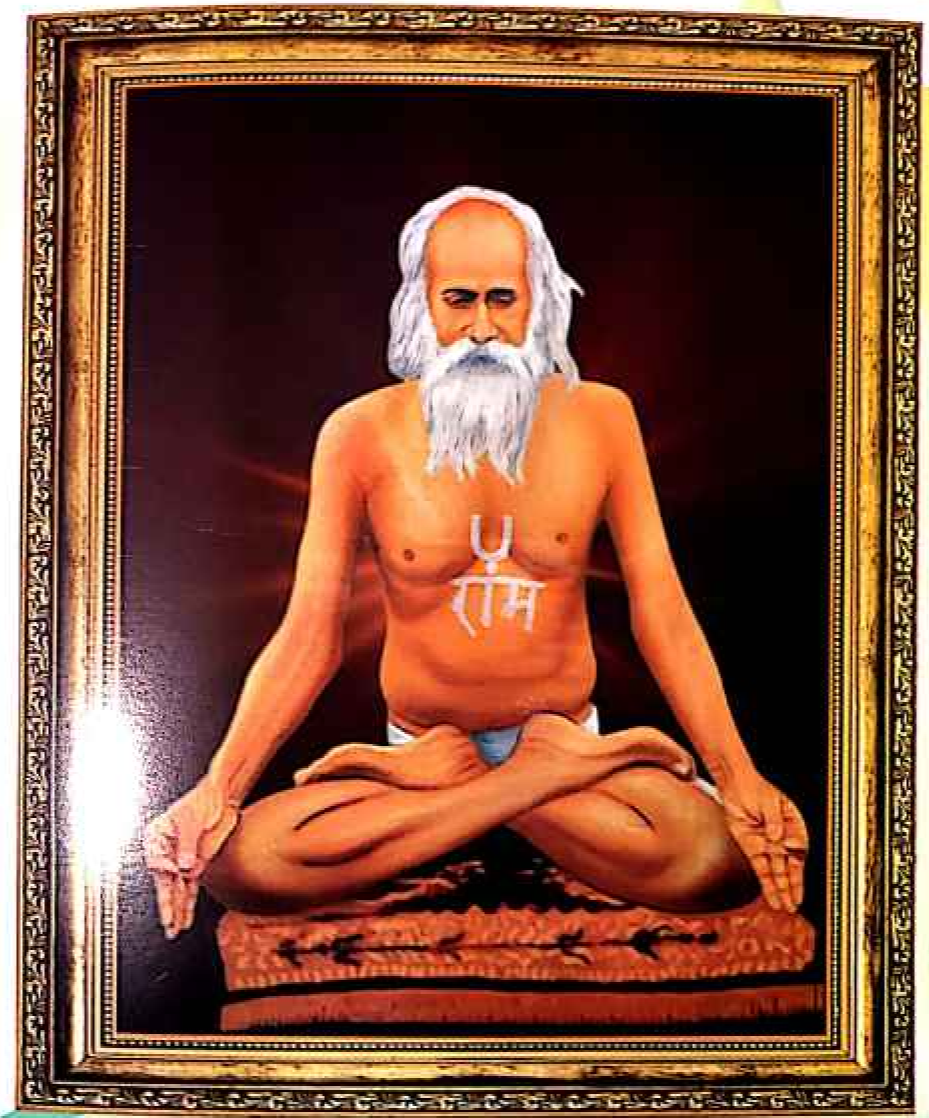

संत श्री १००८ मौनी बाबा

(जनकपुरवासी)

Scanned with OKEN Scanner

Printed by : D. J. ENTERPRISES, Gautam Nagar, Chandwa, Ara-802301 (Bihar)

Scanned with OKEN Scanner